U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj

ihBklhu vf/kdkjh % yfyr dqekj xqIrk] vkbZ-,-,l-

lquokbZ dk vf/kdkj }rh; vihy la[;k %& 01@2018

vihykUV	**cuke**	**jsLiksMsUV**
ईश्वर सिंह राठौड, पुत्र श्री रणजीतसिंह, निवासी गांव थुम्बा, पास्ट पादरली,तहसील आहोर, जिला जालोर।		1. सुनवाई प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता वृत, जल संसाधन विभाग,पाली। 2. लोक सुनवाई अधिकारी एवं अधिशषी अभियन्ता, जवाई नहर खण्ड जल संसाधन विभाग, सुमेरपुर।

jktLFkku lquokbZ dk vf/kdkj vf/kfu;e 2012 ds rgr f}rh; vihy

%% fofu'p; %%

दिनांकः 13.11.2018

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.8.2018 को रेस्पोडेन्ट के समक्ष सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपील अधिकारी ने अपने निर्णय मे यह अंकित किया कि प्रकरण लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर मे विचाराधीन है अतः उक्त उच्च स्तरीय संवैधानिक संस्था के निर्णय होने तक निर्णित किया जाना उपयुक्त प्रतीत नही होता है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने उक्त द्वितीय अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट निर्धारित दिनांक 6.11.2018 को उपस्थित हुए। उपस्थित अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीक्षण अभियन्ता,

वृत पाली के निर्णय दिनांक 26.2.2013 की जिसकी तकनीकी व भौतिक पालना नही होने पर अपीलान्ट ने राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक परिवाद अधिशाषी अभियन्ता जवाई नहर,सुमेरपुर के समक्ष पेश किया। उनके द्वारा कोई स्पष्ट आदेश नही दिये जाने पर अपीलान्ट ने प्रथम अधीक्षण अभियन्ता, वृत पाली के समक्ष पेश की । अधिशाषी अभियन्ता जवाई नहर, सुमेरपुर एवं अधीक्षण अभियन्ता, वृत पाली ने अपने निर्णय मे अंकित किया है कि प्रकरण लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर मे विचाराधीन है अतः उक्त उच्च स्तरीय संवैधानिक संस्था के निर्णय होने तक निर्णित किया जाना उपयुक्त प्रतीत नही होता है। सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी का निर्णय न्यायोचित नही है क्योंकि किसी प्रकार का नया आदेश जारी नही करना था, बल्कि पूर्व आदेश दिनांक 26.2. 2013 की पालना ही की जानी थी। साथ ही लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर मे विचाराधीन प्रकरण भी नत्थीबद्ध किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 26.2.2013 की पालना सुनिश्चित करने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधिशाषी अभियन्ता जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर ने अपने पत्र दिनांक 6.9.2018 द्वारा सूचित किया कि उक्त प्रकरण लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर मे भी विचाराधीन है, अतः प्रथम अपील अधिकारी पद निर्वहन मे उक्त उच्च स्तरीय संवैधानिक संस्था के निर्णय होने तक निर्णित किया जाना उपयुक्त प्रतीत नही होने से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था, जो तत्समय उचित था।

हमने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की बहस मनन किया तथा अपील के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीक्षण अभियन्ता वृत पाली के निर्णय दिनांक 13.2.2013 मे निर्णय लिया गया कि तखतगढ वितरिका के टेल आर.डी 70600 से सिंचित क्षेत्र केवल नहरी प्रथम एवं नहरी द्वितीय ही रखा जावे और उसके अनुरूप टेल क्लस्टर की डिजाईन संशोधित की जावे। उक्त निर्णय रेकर्ड मे तो पालना कर ली गयी है, परन्तु तकनीकी व भौतिक पालना नही होने पर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील पेश की गयी। उपरोक्त तथ्यों के क्रम मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिशाषी अभियन्ता जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर

एवं सहायक अभियन्ता नहर, उपखण्ड, सुमेरपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीक्षण अभियन्ता वृत पाली के निर्णय दिनांक 13.2.2013 की पालना तकनीकी व भौतिक रूप से यथाशीघ्र कर पालना से अवगत करावें। निर्णय आज दिनांक 13.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ **yfyr dekj xIrk** ½
सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1 अधीक्षण अभियन्ता, जन संसाधन विभाग, वृत पाली।
2. अधिशाषी अभियन्ता जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर।
3. सहायक अभियन्ता नहर, उपखण्ड, सुमेरपुर ।
4 ईश्वर सिंह राठाड, गांव थुम्बा, पोस्ट, पादरली, वाया गंढा बालोतान, तहसील आहोर, जिला पाली।

¼ **yfyr dekj xIrk** ½
सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर